राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-4(5)आरडी/आरई/नरेगा/GOI/08-09 जयपुर, दिनांक : 8 APR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान) ।

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम सभा आयोजन बाबत विस्तृत निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि इसका कियान्वयन अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निष्पादित हों तथा इस योजना के कियान्वयन में पारदर्शिता रखी जावें। योजना के कियान्वयन में ग्राम सभा की मुख्य भूमिका है। ग्रामसभा के योजनान्तर्गत अपेक्षिति गतिविधियों पर चर्चा सुनिश्चित करने का प्रमुख दायित्व आपका है। ग्राम सभा के सफल आयोजन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :-

- ग्राम सभा का प्रभावी कियान्वयन अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित किया जावें।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभा के लिए पंचायत समिति स्तर का एक प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया जावें, जिसकी निगरानी में ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित हों।
- ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व ग्राम सभा की तिथि एवं उसमे रखे जाने वाले विषयों का पंचायत से जुड़े गांवों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामवासी ग्राम सभा में भाग ले सकें।
- प्रत्येक ग्राम सभा की बैठकों की विडियों रिकार्डिग अनिवार्य रूप से करवाई जावें। विडियों रिकार्डिग की प्रति टेप, सीडी या अन्य किसी माध्यम से ग्राम पंचायत/ कार्यक्रम अधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में रखी जावें। विडियों रिकार्डिग के अनुसार ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की पालना समय पर सुनिश्चित की जावें।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभा का नियमित रूप से आयोजित हों, यह सुनिश्चित किया जावें।
- ग्राम सभा में योजनान्तर्गत राशि का आवंटन, कियान्वित कार्य, नियोजित श्रमिक, मस्टररोल, माप पुस्तिका, स्वीकृति आदेश, कैश बुक एवं अन्य रिकार्ड जो योजना के कियानवयन से जुड़ा है, उसका प्रस्तुतीकरण किया जावें।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस संदर्भ में आप द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे समय समय पर अवगत करावें।

भवदीय,

(जी.एस. सन्धू)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,समस्त(राजस्थान)।
2. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

D:\RAM\ALL LETTER NEW.doc